




गायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न०:- 33 / 2021

तारीखरजू:- 23.2.21

उनवान:- कमला बनाम नियामत वगै०

दावा बावत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम	
	<p>वादी की और से श्री संजय गहलौत एडवोकेट ने दावा बावत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53, 188 राज०टी०एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 08.03.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(दुर्गा प्रसाद मीना) उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p>	<p style="text-align: right;">887-94</p>
8.3.21	अवकाश घोषित	
9.3.21	<p>वादी की ओर से कार्यस्थगित है प्रतिवादी नं. 1, 8 बावजूद उत्पन्न उप० नली की प्रतिवादी नं. 2 से उचितमान शकस तामील से प्राप्त हुए है प्रतिवादी नं. 6, 7 के समान कीदतभीक प्राप्त नही है। आईना वदो 9.4.21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p style="text-align: right;">24.2.21</p>
9.4.21	<p>वादी वकील उप० प्रतिवादी नं. 2 से 7 की ओर से श्री विष्णु कुमार कंटक ADV. ने बकालतनामा एवं जब्त दावा मय काउन्टर पेश किया। वादी वकील ने काउन्टर क्लेम का जबाब पेश करी कले का कथन किया। प्रतिवादी नं. 1, 8 बावजूद उप० नली की उन्के पिकल एक पक्षीप कार्यवाही की जाती है तसवी कायम करने दिनांक 21.5.21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>	
28.21	<p>पत्रावली लॉक डाउन के कारण जनरल येशी वर पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। वकील उभय पक्षकारान द्वारा मुताबिक दावा एवं काउन्टर क्लेम</p>	<p style="text-align: right;"></p>

अधिकाधिक डिप्टी जरी करने हेतु सूचना प्रदान की गई।
अतः वकील परकारान की सूचना अनुसार दावा का
काइन्ट क्लेम स्वीकार करते हुए अधिकाधिक डिप्टी जरी
जाता है। विलय निर्णय प्राप्त से लिखाया जाकर शामिल
पत्रावली सिंगरमा/ तहसीलदार टीडाचीप की २०० रुपये
बंदबारा कनिश्चर नियुक्त कर आदेश से जमावली
बंदबारा स्कीम में बकाया देय ९ प्रतियों के तैयार कर
जिजवरी/ पत्रावली दिनांक ०३-०९-२१ को भेजा है।

(दुर्गा प्रसाद शीला)
अध्यापक अधिकारी (पंजाब)
जिला-पंजाबी

तहसीलदार टीडाचीप से बंदबारा स्कीम में बकाया देय प्राप्त
है। P० साहब राजकार्त से अजमेर प्यारे से पत्रावली
मते अधिन आदेश दिनांक ०६-०९-२१ को भेजा है।

०६-०९-२१

पत्रावली उप०/ P० साहब दीगर कार्य में अहकाम प्राप्त
दिनांक ०७-०९-२१ को भेजा है।

०७-०९-२१ अहकाम प्राप्त पत्रावली दिनांक २०^१/_२ को भेजा है।
दुलाब उप०/ तहसीलदार से प्राप्त बंदबारा स्कीम का
बीज अभ्यमदान में अवलोकन किया। दावा
विलोकन प्रताबिस बंदबारा स्कीम दावा काइन्ट डिप्टी
मने का कथन किया। वकील अभ्यमदान की
सूचना अनुसार दावा काइन्ट डिप्टी किया जाता है।
निर्णय प्राप्त से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली

1

(दुर्गा प्रसाद शीला)
अध्यापक अधिकारी (पंजाब)
जिला-पंजाबी

महानगरपालिकाको कार्यालय उप जिला कलेक्टर टोडाभाम

फर्द अहकाम

क्रिया जाकर न्यायालय में पुनाया गया / पत्रावली
केसल शुमार होकर नंबर ते कम होकर दाखिल
दफ्तर हो।

५

महानगरपालिकाको कार्यालय
उप जिला कलेक्टर
टोडाभाम